परीक्षा/मूल्यांकन नियमावली

(सत्र 2018-19 से सभी पाठ्यक्रमों हेतु)

1. मूल्यांकन एवं परीक्षा विभाग में गोपनीयता की दृष्टि से विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित है । किसी विशेष कार्य हेतु स्वीकृति के पश्चात ही विद्यार्थी परीक्षा/मूल्यांकन विभाग में जा सकते हैं ।
2. परीक्षाफल/अंकपत्र या परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी विद्यार्थी संकाय/समन्वयक कार्यालय से प्राप्त करेंगे ।
3. परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात विद्यार्थियों के अंकपत्र सम्बन्धित संकाय/परिसर में मूल्यांकन/परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा भेज दिये जायेंगे । विद्यार्थियों को अंकपत्र मूल्यांकन विभाग या परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा नहीं दिये जायेंगे ।
4. अंकपत्र की मूल प्रति केवल एक बार ही प्रदान की जायेगी ।
5. अंक पत्र/उपाधि/प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति निम्न प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही जारी की जायेगी ।
   i प्रपत्र के गुम होने के सम्बन्ध में थाने में दर्ज रिपोर्ट ।
   ii प्रपत्र के गुम होने के सम्बन्ध में समाचार पत्र में जारी की गयी विज्ञप्ति ।
   iii सम्बन्धित प्रपत्र के गुम होने का एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र(रू0 10/- के स्टॉम्प पर)।
   iv छात्र/छात्रा का प्रार्थना पत्र के साथ द्वितीय प्रति हेतु निर्धारित शुल्क रू0 400/- जमा की रसीद।
6. विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली ट्रांस्क्रिप्ट (प्रथम चार प्रति) शुल्क रू0 500/- व इसके पश्चात अतिरिक्त प्रति के लिए प्रति ट्रांस्क्रिप्ट शुल्क रू0 100/- होगा ।
7. किसी भी टंकण त्रुटि के कारण विद्यार्थी को संशोधित अंक पत्र, सम्बन्धित संकाय/परिसर को अंकपत्र प्रेषित किए जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में दिये गये अंकपत्र (मूल प्रति) जमा करने के बाद दिया जायेगा ।
8. विद्यार्थी की किसी भी त्रुटि/गलती के कारण अंकपत्र में संशोधन के लिये निर्धारित रू0 400/- शुल्क जमा करने पर ही संशोधित अंकपत्र दिया जायेगा ।
9. कोई विद्यार्थी त्रुटिवश या जानबूझकर किसी उत्तीर्ण प्रश्न-पत्र में पुनः परीक्षा दे देता है तो उस प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा के प्राप्तांक की गणना नहीं होगी तथा यह परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी ।
10. किसी पाठ्यक्रम में पूर्व छात्र (Ex student) का प्रावधान नहीं होगा ।अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को आगामी वर्ष में ही पुनः प्रवेश दिया जायेगा । अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सीटों का प्रावधान होगा ।
11. विद्यार्थी को सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है ।
    (क) प्रत्येक कोर्स/प्रश्न-पत्र में कम से कम 75% उपस्थिति हों ।
    (ख) लिखित परीक्षा के सत्रीय(सेशनल) की दो परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा दी हो ।
    (ग) प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र में सत्रीय(सेशनल) की परीक्षा दी हो ।
12. प्रयोगात्मक/प्रोजैक्ट/लघुशोध/मौखिकी परीक्षा को लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की भांति एक प्रश्न पत्र मानकर ही परीक्षाफल तैयार किया जायेगा ।
13. प्रत्येक प्रश्न-पत्र की परीक्षा 100 अंकों [(सत्रीय(सेशनल) 30 अंक + सेमेस्टर के अन्त में लिखित परीक्षा 70 अंक] की होगी ।
14. सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा में दो 20-20 अंको के लिखित टेस्ट होंगे । इनमें से विद्यार्थी को जिसमें भी अधिक अंक प्राप्त हुए हों उसमें उपस्थिति, ट्यूटोरियल, सेमीनार आदि के अंक (10 अंको में से दिये अंक) जोडकर सत्रीय मूल्यांकन के अंक दिये जायेंगे ।
15. प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा में एक 20 अंको का लिखित टेस्ट होगा जिसमें उपस्थिति, ट्यूटोरियल, सेमीनार आदि के अंक (10 अंको में से दिये अंक) जोडकर सत्रीय मूल्यांकन के अंक दिये जायेंगे ।

परीक्षा नियन्त्रक

यदि विद्यार्थी विभाग द्वारा आयोजित किसी भी सत्रीय(सेशनल) परीक्षा में किसी अपरिहार्य कारण से सम्मिलित नही हो सका है तो विभाग/संकाय/परिसर विद्यार्थी से रू0 250/- शुल्क जमा कराकर सेमेस्टर के अन्त में होने वाली परीक्षाओं से पूर्व उसका सत्रीय(सेशनल) करा सकता है । सत्र की लिखित परीक्षायें आरम्भ होने के पश्चात सत्रीय(सेशनल) परीक्षा नहीं करायी जायेगी ।

17. प्रथम, तृतीय, पंचम व सप्तम सेमेस्टर की परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न-पत्रों (सेशनल तथा सैद्धान्तिक) में उपस्थिति के पश्चात ही परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल माना जायेगा और उसका परीक्षा परिणाम चाहे जो भी हो उसे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा ।
18. प्रश्न-पत्र में उपस्थिति का तात्पर्य सम्बन्धित प्रश्न पत्र की सत्रीय परीक्षा या लिखित परीक्षा में किसी एक में उपस्थिति अथवा सत्रीय परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा में से किसी एक में उपस्थिति से है ।
19. प्रयोगात्मक परीक्षा वाले पाठ्यक्रम में परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग-अलग 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होगें ।
20. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में (बी0फार्म0 एवं पी0एच.डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा को छोडकर) उत्तीर्णांक 40% (सत्रीय(सेशनल) एवं लिखित परीक्षा के अंको को जोडकर) होगा ।
21. बी0फार्म0 में उत्तीर्णांक 50% एवं पी0एच.डी0 कोर्स वर्क में उत्तीर्णांक 55% होगा ।
22. समस्त पाठ्यक्रमों में S.G.P.A. / C.G.P.A. निकालते समय समस्त प्रश्न-पत्रों/विषयों (लिखित + सत्रीय + लघु शोध + प्रोजेक्ट रिपोर्ट + मौखिकी + प्रयोगात्मक परीक्षा) को आधार माना जायेगा ।
23. कक्षा का सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम एक साथ ही घोषित किया जायेगा ।

    क. किसी पाठ्यक्रम/विषय में किसी केन्द्र की लघु शोध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मौखिकी, समर-ट्रेनिंग एवं प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हुई है तो भी उस स्थिति में उस पाठ्यक्रम/विषय का अलग-अलग केन्द्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा ।

    ख. एक केन्द्र पर भी यदि लघु शोध, प्रोजेक्ट, मौखिकी, समर-ट्रेनिंग एवं प्रयोगात्मक आदि की परीक्षा एक-एक या दो-दो के बैच में होती है तब भी समस्त परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न होने के बाद ही कक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा ।
24. परीक्षा परिणाम घोषित करते समय विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोके जाने की स्थिति में (किसी भी कारण यथा पंजीकरण संख्या, माता का नाम, पिता का नाम, पिछला परीक्षा परिणाम आदि अनुपलब्ध होने पर) उनका परीक्षा परिणाम निर्धारित प्रक्रिया (कमियां) पूर्ण होने पर एक मास के भीतर घोषित किया जायेगा ।
25. समस्त पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक सूची पाठ्यक्रम का अन्तिम परीक्षाफल घोषित होने व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ही मूल्यांकन विभाग द्वारा जारी की जायेगी । इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर चुके हैं । अतः सर्वप्रथम घोषित परीक्षाफल में जेा अंक प्राप्त होंगे वही वरीयता क्रम का आधार होंगे, व पूनर्मूल्यांकन के अंक भी वरीयता क्रम सूची में सम्मिलित किये जायेंगे ।
26. समस्त पाठ्यक्रम में किसी भी सेमेस्टर/वर्ष के किसी भी प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा/अंक सुधार परीक्षा देने के उपरान्त विद्यार्थी को सर्वोच्च अंक हेतु वरीयता क्रम में शामिल नहीं किया जायेगा ।
27. एक वर्ष (प्रथम+द्वितीय या तृतीय+चतुर्थ या पंचम+षष्ठ सेमेस्टर) के सम्पूर्ण प्रश्न-पत्रों में से कम से कम 50% प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा । 50% से अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी सम्बन्धित वर्ष में अनुत्तीर्ण होगा ।
28. विद्यार्थी के लघु-शोध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मौखिकी, समर-ट्रेनिग एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर बीमारी के कारण या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से परीक्षार्थी के अनुपस्थित रहने पर चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर या संतोषजनक कारण होने पर सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित होने से पूर्व परीक्षार्थी की उक्त परीक्षा कराने की स्वीकृति निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात ही प्रदान की जा सकती है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक विभाग में आ रहे हैं तो परीक्षार्थी से ~~रू0 500/-~~ जमा कर परीक्षा करायी जा सकती है अन्यथा रू0 ~~2500/-~~ निर्धारित शुल्क परीक्षार्थी को जमा कराने के पश्चात ही परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है । ₹ 4000/- (पात्र व्यय + दैनिक भत्ता)

यू.जी.-₹800/ पी.जी.-₹1200/-

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

कृपांक की कोई सुविधा परीक्षार्थी को प्रदान नहीं की जायेगी ।

विश्वविद्यालय की

सम सेमेस्टर की परीक्षायें	मई प्रथम सप्ताह
पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षायें	जून प्रथम सप्ताह
पास आऊट छात्र/छात्राओं की पुनः परीक्षा	सितम्बर प्रथम सप्ताह
विषम सेमेस्टर की परीक्षायें	दिसम्बर प्रथम सप्ताह में आरम्भ होगी ।

31. आन्तरिक/सत्रीय मूल्यांकन के अंकों को प्रत्येक विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार/प्रारूप पर ही मूल्यांकन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे । यह अंक सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने तक मूल्यांकन विभाग में पहुंचने आवश्यक होंगे । इस हेतु कोई पूर्व सूचना विभागों को प्रेषित नहीं की जायेगी । विभागाध्यक्ष स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त समस्त कार्यावाही निर्धारित समय के अन्तर्गत निर्देशानुसार सम्पन्न हो । सम्बन्धित विषय की सेमेस्टर/लिखित परीक्षा आरम्भ होने के पश्चात कोई भी सत्रीय परीक्षा के प्राप्तांक मूल्यांकन /परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेंगे ।
32. अन्तिम सेमेस्टर में जिन विषयों में लघु शोध (Dissertation) है उनमें विद्यार्थियों द्वारा लघु शोध 15 मई तक जमा कराना अनिवार्य होगा तत्पश्चात निर्धारित विलम्ब शुल्क रू 1000/- जमा करने के पश्चात विभागाध्यक्ष की स्वीकृति से यह अवधि बढायी जा सकेगी ।
33. विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश वर्ष के प्रारम्भ (जुलाई-अगस्त) में प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टर में ही दिया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में वर्ष के बीच (जनवरी-फरवरी) में द्वितीय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम सेमेस्टर में विद्यार्थी को प्रवेश नही दिया जायेगा ।
34. विद्यार्थी को कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि के अतिरिक्त दो वर्षों का समय होगा । अर्थात बी.टेक., बी.फार्म. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्षो में, एम.सी.ए., बी.एस.सी., बी.बी.ए., अलंकार एवं बी.ए. की परीक्षा अधिकतम 5 वर्षो में एवं एम.ए., एम.एस.सी., एम.बी.ए./एफ./ई., बी.पी.एड., एम.पी.एड. की परीक्षा अधिकतम 4 वर्षो में, पी.जी.डिप्लोमा की परीक्षा अधिकतम 3 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा । ऐसा न करने की दशा में विद्यार्थी का पंजीकरण विश्वविद्यालय से स्वतः निरस्त हो जायेगा ।
35. विद्यार्थी के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल मिलाकर 50% से अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर अगले सत्र में प्रथम सेमे0 में ही प्रवेश लेना होगा । यही व्यवस्था आगे के दो सेमेस्टर मिलाकर एक प्रत्येक वर्ष (शिक्षा सत्र) के परीक्षा परीणाम में भी लागू होगी ।
36. अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश लेने पर वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम को ही पढ़ना होगा व उसी में परीक्षा देनी होगी । इस प्रकार के प्रवेशों से निर्धारित सीटें प्रभावित नहीं होंगी ।
37. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये बिना विद्यार्थी द्वारा प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) निकलवाने की दशा में पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को पुनः प्रवेश व पंजीकरण कराना होगा । विद्यार्थी को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण निर्धारित अवधि मे ही करना होगा। अवधि की गणना पाठ्यक्रम में प्रथम बार प्रवेश लिए जाने के समय से होगी।
38. विद्यार्थी के प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में अनुत्तीर्ण होने या किसी भी कारण से तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत न हो पाने पर विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा/इन्टरव्यूव के बिना पुनः प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा । इससे पाठ्यक्रम की कुल सीटें प्रभावित नहीं होगी ।
39. प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में विद्यार्थी का प्रवेश किसी भी कारण से निरस्त होने की दशा में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।
40. किसी पाठ्यक्रम/विषय/प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 05 विद्यार्थी होने पर ही यह विषय/प्रश्न पत्र पढाया जायेगा । 05 से कम विद्यार्थी होने पर कोई भी विषय/प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों को नहीं दिया जायेगा ।
41. विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के अलावा अन्य परिसरों में पढाया जाने वाला प्रश्न-पत्र/पाठ्यक्रम की जानकारी सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष को होनी आवश्यक है । अथार्थ मुख्य परिसर में पढाये जाने वाले प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य परिसरों में प्रश्न पत्र पढाने की स्वीकृति विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियन्त्रक से लेनी आवश्यक है ।

4/11/18

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

उत्तीर्ण विद्यार्थी के शैक्षिक योग्यता की जांच/सत्यापन की सूचनाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकारी संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को कुलसचिव की स्वीकृति के पश्चात् बिना शुल्क जमा किये सत्यापन किया जा सकता है किन्तु व्यक्तिगत या निजी संस्थाओं से मांगी गयी जानकारी या सत्यापन निर्धारित शुल्क रू0 500/- जमा कराने के पश्चात ही सत्यापित किया जायेगा । मौखिक व दूरभाष द्वारा कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी । आवेदन पत्र के साथ रू0 500/- की रसीद कुलसचिव के नाम बैंक ड्राफ्ट तथा सत्यापन किए जाने वाले अंकपत्र/उपाधि की छाया प्रति साथ लगानी होगी ।

43. शारीरिक अपंग परीक्षार्थी को भारत सरकार के नियमानुसार एक लेखक की सुविधा व एक तिहायी अतिरिक्त परीक्षा समय (तीन घण्टे की परीक्षा में एक घण्टे का अतिरिक्त समय) दिया जायेगा ।
44. योग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में भी अन्य पाठ्यक्रमों की भांति पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी ।
45. विश्वविद्यालय में चल रहे समस्त पाठ्यक्रमों की उपाधियां विश्वविद्यालय में अगस्त-सितम्बर में होने वाली पुनः परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा के पश्चात ही तैयार की जायेंगी ।
46. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा गलत या अपूर्ण जानकारी देकर अधिकारियों से सत्रीय/प्रयोगात्मक/पुनः परीक्षा आदि की स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही/परीक्षा सम्पन्न हो जाती है । इसके पश्चात सत्यता ज्ञात होने पर सम्बन्धित स्वीकृति को निरस्त कर परीक्षार्थी पर कार्यवाही या परीक्षा निरस्त की जा सकती है ।
47. विद्यार्थियों के द्वारा किसी परीक्षा का बहिष्कार करने पर उस प्रश्न पत्र में बहिष्कार करने वाले परीक्षार्थियों को शून्य अंक प्रदान कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा ।
48. सेमेस्टर की परीक्षा के अंकपत्र पर परीक्षा परिणाम श्रेणी में घोषित न होकर SGPA (सेमेस्टर ग्रेड प्वाइन्ट ऐवरेज) तथा सभी सेमेस्टरों की परीक्षाओं के CGPA (क्यूमुलेटिव ग्रेड प्वाइन्ट ऐवरेज) के रूप में दिए जायेंगे ।
49. सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अन्तर्गत सी.जी.पी.ए. को निम्न सूत्र(फार्मूला) द्वारा अंक प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा **अंक प्रतिशत** = (CGPA / 10) X 90 एवं प्रतिशत को CGPA में परिवर्तित निम्न फार्मूला द्वारा किया जायेगा **सी.जी.पी.ए.** = (अंक प्रतिशत / 90) X 10 ।
50. सामान्य एवं मूलभूत नियमों में संशोधन का अधिकार किसी पाठ्यक्रम की शिक्षा समिति (BOS) को नहीं है ।
51. प्रत्येक पाठ्यक्रम/प्रश्न-पत्र में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दिए जायेंगे ।

Letter Grade	Grade Points	Marks Range (%)
O (Outstanting)	10	90 - 100
A+ (Excellent)	9	75 - 89.99
A (Very Good)	8	65 - 74.99
B+ (Good)	7	55 - 64.99
B (Above Average)	6	50 - 54.99
C (Average)	5	45 - 49.99
P (Pass)	4	40 - 44.99
F (Fail)	0	<40
Ab (Absent)	0	

52. विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी (लिखित, सत्रीय, प्रयोगात्मक, प्रवेश परीक्षा व विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गयी अन्य परीक्षा) परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा का परीक्षाफल घोषणा की तिथि से एक वर्ष (365 दिन) के पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा ।
53. विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र व उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु भरे गये परीक्षा फार्म सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 वर्ष) पश्चात नष्ट कर दिये जायेंगे ।
54. अंक पत्र एवं गजट के अंको में अन्तर होने की दशा में गजट (टेबुलेशन चार्ट) के अंक ही मान्य होंगे व परीक्षा परिणाम /अंक विवरणिका सम्बंधी विवाद के लिए **न्यायालय क्षेत्र जिला हरिद्वार होगा** ।

परीक्षा नियन्त्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

5. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम :

a. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम छः वर्ष होगी । अवधि की गणना पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि से होगी ।

b. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में महिला तथा निशक्त शोधार्थी को अधिकतम सीमा अवधि में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

c. विवाहित महिला शोधार्थी को पूरी अवधि में एक बार 240 दिन का मातृत्व/ शिशू देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा ।

d. छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोधार्थी के लिये छात्रवृत्ति देने वाली संस्था के अवकाश के नियम एवं शर्तें लागू होंगी । संस्था के नियम स्पष्ट न होने की दशा में यू.जी.सी.-जे.आर.एफ. के अवकाश नियम मान्य होंगे ।

e. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में शोधार्थी को एक सेमेस्टर (छः मास) अवधि का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा । प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य उत्तीर्ण करना आवश्यक है ।

f. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य (कुल 12 क्रेडिट) में 100 - 100 अंक के दो प्रश्न-पत्र होंगे ।

g. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए लगातार अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जायेंगे ।

h. शोधार्थी यदि दो अवसरों में भी पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी पंजीकरण हेतु पात्रता निरस्त मानी जायेगी ।

i. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक 55% (B ग्रेड 7 प्वांइट ग्रेडिंग के आधार पर) होगा ।

j. शोधार्थी द्वारा जमा किये गये पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन उसके शोध निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा ।

k. मौखिकी परीक्षा के पश्चात परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किये जाने की संस्तुति के उपरान्त ही शोधार्थी को शोध उपाधि प्रदान की जायेगी ।

l. बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक होने व मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने की सिफारिश के पश्चात ही शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी ।

m. मौखिकी परीक्षा में सर्वसम्मत निर्णय न होने पर शोधार्थी को छः मास पश्चात पुनः एक अवसर प्रदान किया जायेगा । पुनः मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होगी जिसमें यदि एक भी परीक्षक शोधार्थी को शोध उपाधि प्रदान करने के पक्ष में नहीं है तो शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा ।

n. दोनों बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिए जाने (मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने) पर शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा ।

o. बाह्य परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने व मौखिकी परीक्षा की संस्तुति न करने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य (तीसरे) परीक्षक को शोध प्रबन्ध भेजेगा ।

p. तीसरे बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक होने पर शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी । तीसरे बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा ।

q. विश्वविद्यालय का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम एक नियमित/रेगूलर प्रोग्राम है । किसी भी विषय/क्षेत्र में दूरस्थ प्रणाली की व्यवस्था नहीं है ।

2/11/18

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

. पुनः परीक्षा :

a. प्रत्येक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को दो पुनः परीक्षा के अवसर सामान्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे ।

b. एक वर्ष (प्रथम+द्वितीय या तृतीय+चतुर्थ या पंचम+षष्ठ या सप्तम+अष्टम सेमेस्टर) के सम्पूर्ण प्रश्न-पत्रों में से किसी एक प्रश्न-पत्र या अधिकतम 50 प्रतिशत प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा व अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्रों में विद्यार्थी को पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

c. संस्थागत (Regular) विद्यार्थियों की सेमेस्टर प्रणाली में सम (II, IV, VI) सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा सम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ (मई में) व विषम (I, III, V, VII) सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ (दिसम्बर) में होगी ।

d. विश्वविद्यालय सितम्बर माह में भी पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा सम्पन्न करायेगा, जिसमें केवल वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो अपने अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और जिनका किसी प्रश्न पत्र का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण है । वे विद्यार्थी (Pass out student) अपने पूर्व के समस्त अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों (किसी भी वर्ष/ सेमेस्टर) की पुनः परीक्षा दे सकतें हैं ।

e. यदि कोई विद्यार्थी पाठयक्रम हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा में नियमानुसार पुनः परीक्षा के समस्त अवसरों के पश्चात भी असफल रहता है तब वह कुलपति को "दया अवसर" हेतु आवेदन कर सकता है । इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा निर्णय दिया जायेगा । ऐसे विद्यार्थी को दया अवसर प्रपत्र पर आवेदन करना होगा ।

f. विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमे0 की परीक्षा पुनः परीक्षा देकर उत्तीर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को अन्तिम सेमे0 के अंकपत्र पुनः परीक्षा वाला अनुक्रमांक एवं अंकपत्र व उपाधि/प्रमाण पत्र पर वह वर्ष लिखा जायेगा जिस वर्ष विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा संस्थागत रूप में दी थी ।

g. सत्रीय मूल्यांकन की लिखित परीक्षा (टैस्ट) हेतु पुनः परीक्षा नहीं होगी ।

h. पी0एच.डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा में विद्यार्थी को पुनः परीक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी ।

58. अनुत्तीर्णः

a. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सेमेस्टरों परीक्षाओं में किसी विद्यार्थी के समस्त प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा ।

b. प्रथम, तृतीय, पंचम व सप्तम् समेस्टर में 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा ।

c. एक वर्ष (प्रथम+द्वितीय या तृतीय+चतुर्थ या पंचम+षष्ठ या सप्तम+अष्टम सेमेस्टर) के सम्पूर्ण प्रश्न-पत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा ।

d. नकल करते पकडे जाने पर विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका सील कर यू0एफ0एम0 कमेटी को भेजने के उपरान्त कमेटी द्वारा विद्यार्थी को सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों में शून्य अंक प्रदान किये जाने के निर्णय या सम्पूर्ण वर्ष का परीक्षाफल निरस्त करने के निर्णय के कारण छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा ।

e. किसी भी सेमेस्टर में विद्यार्थी की समस्त प्रश्न पत्रों में उपस्थिति कम होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी का सेमेस्टर की अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने से रोके जाने (अनुक्रमांक जारी न करने) पर विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा ।

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

. **अंक/ग्रेड सुधार :**

. पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्न पत्र उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही कोई विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार किन्हीं दो लिखित प्रश्न पत्र में अंक सुधार हेतु परीक्षा दे सकता है ।

b. अंक सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के तुरन्त पश्चात जुलाई मास में भरे जायेंगे जिसकी परीक्षा सितम्बर मास में होगी ।

c. किसी भी पाठ्यक्रम की अंक सुधार परीक्षा में परीक्षा परिणाम 'उत्तीर्ण' या 'अनुत्तीर्ण' ही होगा, पुनः परीक्षा/प्रमोटेड नहीं । पुनः परीक्षा की दशा में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जायेगा ।

d. अंक सुधार परीक्षा में सम्बन्धित प्रश्न पत्र के अंको मे सुधार होने पर (पूर्व के अंको से अधिक अंक आने पर) सम्बन्धित सेमेस्टर की संशोधित अंक तालिका मूल्यांकन विभाग द्वारा संकाय/समन्वयक कार्यालय में प्रेषित की जायेंगी, अंक सुधार (बढत) न होने पर विद्यार्थी के अंक पूर्ववत ही रहेंगे ।

e. अंक सुधार परीक्षा पश्चात विद्यार्थी का ग्रेड में सुधार होता है तब भी वह ग्रेड 9(A+) से अधिक नहीं होगा ।

60. **कोडिंग एवं ग्रेडिंग** : विश्वविद्यालय में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों (बी0फार्म0 के अलावा) में प्रत्येक प्रश्न पत्र का कोड आठ अक्षर (Character) का होगा । जैसे- BCH-C201, MSA-E403, MCA-C460

a. **प्रथम अक्षर** - विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर (B.Tech., BA/Alankar/BPES, B.Sc., B.Pharm., BBA, & BPEd.) में प्रश्न-पत्र कोड का प्रथम अक्षर B, बी0ए0 ऑनर्स (Ved, Sanskrit, Philosophy) में कोड का प्रथम अक्षर H, स्नातकोत्तर स्तर (MA, M.Sc., MCA, MBA/F/E & MPEd) में कोड का प्रथम अक्षर M, पी0जी0 डिप्लोमा स्तर (PG Diploma in Yogic Science, PG Diploma in Patrakarita) में कोड का प्रथम अक्षर D, योग प्रमाण-पत्र में C एवं पी.एच0डी0 में कोड का प्रथम अक्षर P रहेगा ।

b. **द्वितीय एवं तृतीय अक्षर** - विषय से सम्बन्धित होंगे । जैसेः CH Chemistry, SA Sanskrit.

C. **चौथा अक्षर** - (डैश) होगा ।

d. **पांचवा अक्षर** प्रश्न पत्र के प्रकार को दर्शायिगा । जैसेः C (Core) कोर प्रश्न पत्र के लिए, E (Elective) इलेक्टिव प्रश्न पत्र के लिए, S (Skill Enhancement) स्किल प्रश्न पत्र के लिए, G (Generic elective) जेनेरिक प्रश्न पत्र के लिए व A (Ability Enhancement) एबिलिटी एनहांसमैंट के लिए ।

d. **छटा अक्षर** सेमेस्टर के लिए होगा । जैसेः 1 प्रथम सेमे0, 2 द्वितीय, 5 पंचम सेमे0 के लिए

e. **सातवां एवं आठवा अक्षर** प्रश्न पत्र संख्या/क्रम को दर्शायिगा । 01 से लेकर 50 तक लिखित परीक्षा हेतु क्रम होगा । 51 से 59 तक प्रयोगात्मक परीक्षा का क्रम होगा । 60 से 99 तक लघुशोध, प्रोजेक्ट, सेमीनार आदि का क्रम रहेगा ।

61. **केडिट विवरण :**

बी0ए0, अलंकार, बी0ए0 ऑनर्स, बी0पी0ई0एस0 एवं बी0एस.सी0 में

कोर एवं इलेक्टिव प्रश्न पत्र - 6 केडिट (लिखित प्र0प0 04 एवं प्रयोगात्मक परीक्षा 02) का होगा ।

जेनेरिक इलेक्टिव प्रश्न पत्र - 6 केडिट (जेनेरिक में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी) का होगा ।

स्किल एवं एबिलिटी एनहांसमैंट प्र0प0 - 4 केडिट (प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी) का होगा ।

एम0एस.सी0, एम0ए0, पी0जी0 डिप्लोमा एवं योग प्रमाण पत्र में प्रत्येक सेमेस्टर 24 केडिट का होगा ।

सेमेस्टर में समस्त लिखित प्रश्न-पत्र होने पर - 4 लिखित प्र0प0 X 6 केडिट = 24 केडिट

सेमे0 में 4 लिखित प्र0प0 व 1 प्रयोगात्मक/मौखिकी होने पर- 4 लिखित प्र.प.X 5 केडिट + 1 प्रयो0 X 4 केडिट = 24 केडिट

सेमे0 में 4 लिखित प्र0प0 व 2 प्रयोगात्मक/मौखिकी होने पर- 4 लिखित प्र.प.X 4 केडिट + 2 प्रयो0 X 4 केडिट = 24 केडिट

सेमेस्टर में लिखित प्रश्न-पत्र न होने व केवल लघुशोध होने पर लघुशोध = 24 केडिट

. एम0एस.सी0 गणित विषय में दो प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनमें प्रयोगात्मक लिखित प्रश्न-पत्र का ही हिस्सा है। अतः उन प्रश्न पत्र में लिखित परीक्षा 4 केडिट + प्रयोगात्मक परीक्षा 2 केडिट की होगी ।

सेमेस्टर में एक लिखित प्रश्न पत्र के बदले लघुशोध होने पर उसके केडिट लिखित प्रश्न पत्र के केडिट के बराबर होगें ।

सेमेस्टर में दो प्रश्न पत्र के बदले लघुशोध होने पर उसके केडिट उन प्रश्न-पत्रों के केडिट के योग के बराबर होगें ।

2. मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका(लिखित परीक्षा) अवलोकनार्थ के सम्बन्ध में :

a. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकनार्थ इच्छुक विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा के तीन सप्ताह के भीतर या विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार आवेदन करना होगा ।

b. विद्यार्थी को निर्धारित अवधि में, निर्धारित प्रपत्र पर, निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय रोकड़ कक्ष में जमा करके परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय/मूल्यॉंकन विभाग में आवेदन पत्र जमा करना होगा ।

c. अन्तिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

d. मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका/पुस्तिकायें दिखाये जाने के कार्यक्रम की सूचन्ना (कक्षा, विषय, दिनांक व समय) सूचना पट पर लगा दी जायेगी व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

e. उत्तर-पुस्तिका दिखाने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दशा में उत्तर-पुस्तिका नही दिखायी जायेगी

f. उत्तर-पुस्तिका केवल सम्बन्धित विद्यार्थी को ही दिखलायी जायेगी जिसकी वह उत्तर-पुस्तिका है ।

g. उत्तर-पुस्तिका देखने हेतु विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परीक्षा प्रवेश पत्र एवं छात्र परिचय पत्र लाना अत्यावश्यक होगा ।

h. विद्यार्थी को उसके द्वारा लिखित उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर-पुस्तिका नही दिखायी जायेगी

i. मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका में अंकों के योग में त्रुटि होने पर अथवा किसी प्रश्न के जॉंचने से रह जाने पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर संशोधन (सुधार) करने के पश्चात सूचना प्रसारित की जायेगी ।

j. मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका में अंकों के योग की त्रुटि व किसी प्रश्न के जँचने से रह जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के समय विद्यार्थी को त्रुटि पाये जाने पर तत्काल मूल्यांकन विभाग में सूचित करना होगा, तत्पश्चात किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

k. विद्यार्थी को उत्तर-पुस्तिका केवल एक बार ही दिखलायी जायेगी ।

l. प्रयोगात्मक/शोध/प्रोजेक्ट/सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा/नकल करते पकडे जाने पर जब्त की गयी उत्तर पुस्तिका/वाक आउट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें नही दिखलायी जायेगी ।

m. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकायें नही दिखलायी जायेगी ।

n. किसी भी परिस्थिति में जब्त की गयी उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को नही दिखलायी जायेगी ।

o. विद्यार्थी के अवरुद्ध परीक्षाफल (पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य कारण से) की घोषणा उत्तर पुस्तिका दिखाने की अवधि के पश्चात होने की दशा में ऐसे विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका नहीं दिखायी जायेगी ।

p. विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र की मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका दिखाये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रु0 500/- प्रति उत्तर-पुस्तिका एवं फोटो प्रति प्राप्ति हेतु रु0 600/- (रु0 500/- + रु0 100/-) प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय रोकड़ कक्ष मे जमा कराने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र, अंक पत्र की फोटो प्रति सहित मूल्यांकन विभाग में जमा करना होगा ।

q. मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका की मुख पृष्ठ की छाया प्रति विद्यार्थी को नहीं दी जायेगी ।

r. मूल्यॉंकित उत्तर-पुस्तिका परीक्षक की पहचान छिपाकर ही विद्यार्थी को दिखायी जायेगी ।

s. विशेष परिस्थिति में मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका देखने हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि परीक्षा नियन्त्रक की स्वीकृति से घटायी या बढायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी

t. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा ।

u. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने के पश्चात उक्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मून्यांकन के इच्छुक परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु एक सप्ताह के भीतर आवेदन करना होगा । इसके लिए उसे निर्धारित पुनर्मूल्यांकन शुल्क जमा करना होगा ।

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

. प्रवेश परीक्षा की OMR की छाया प्रति देना या परीक्षाफल का पुनर्मूल्यांकन :

a. विश्वविद्यालय कि प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने के तीन कार्य दिवस के भीतर प्रवेश परीक्षा की Answer key (प्रश्नों के उत्तर) विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

b. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की Answer key अपलोड करने के पश्चात इच्छुक परीक्षार्थी 10 दिनों तक दी गयी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित अपनी आपत्तियां परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं । इसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती स्वीकार नहीं की जायेगी ।

c. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न/उत्तर से सम्बन्धित आपत्तियां दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न/उत्तर शुल्क रू0 1000/- विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा ।

d. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न/उत्तर से सम्बन्धित प्रत्येक आपत्ति के समर्थन में परीक्षार्थी को किसी मानक पुस्तक का संदर्भ छाया प्रति के साथ जमा कराना आवश्यक है ।

e. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न/उत्तर से सम्बन्धित आपत्तियां सही पाये जाने पर उक्त प्रश्न/उत्तर से सम्बन्धित जमा किया गया शुल्क रू0 1000/- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी को वापिस किया जायेगा ।

f. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं की OMR Sheet (उत्तर पुस्तिका) की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को परीक्षाफल की घोषणा के सात दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन एवं निर्धारित शुल्क रू0 600/- जमा कराना होगा । इसके पश्चात ही OMR Sheet की छाया प्रति प्रदान की जायेगी ।

64. परीक्षार्थी के नकल करते/अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़े जाने पर

(यू0एफ0एम0 कमेटी के निर्णय हेतु नकल करते पकडे गये परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें प्राप्त होने पर)

a. परीक्षार्थी के पास प्राप्त सामग्री पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नहीं है । इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रदान की गयी प्रथम व द्वितीय दोनों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाये ।

b. परीक्षार्थी के पास प्राप्त सामग्री प्रश्न पत्र से सम्बन्धित है जिसका प्रयोग प्रश्न पत्र हल करने में सम्भावना थी परन्तु प्रयोग नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रदान की गयी द्वितीय उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकित कराकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाये ।

c. परीक्षार्थी के पास एक से अधिक बार संदिग्ध सामग्री पायी गयी जिसका प्रयोग प्रश्न पत्र हल करने में सम्भावना थी परन्तु प्रयोग नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रश्न पत्र में शून्य अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जायें ।

d. परीक्षार्थी के पास प्राप्त सामग्री/नकल सामग्री से परीक्षार्थी ने नकल की है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रश्न पत्र में शून्य अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जायें ।

e. परीक्षार्थी के पास प्राप्त सामग्री/नकल सामग्री या नकल हेतु उत्तर पुस्तिका का अन्य परीक्षार्थी से आदान-प्रदान किया है । इस सम्बन्ध में दोनों (दो से अधिक होने पर सब) परीक्षार्थियों का सम्बन्धित (सेमेस्टर/वर्ष का) परीक्षाफल निरस्त किया जाये ।

f. परीक्षार्थी के पास प्राप्त सामग्री/नकल सामग्री से नकल करने के उपरान्त पकड़े जाने पर प्रमाण नष्ट किये जाने का प्रयास किया है या प्रमाण नष्ट कर दिया गया है (जैसे नकल सामग्री फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देना, चबाकर निगल जाना, स्याही से खराब कर देना आदि) या ऐसा करते समय अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की है । इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी से सम्बन्धित पूरा परीक्षाफल (सम्बन्धित सेमेस्टर/वर्ष का) निरस्त कर परीक्षार्थी को अगले एक वर्ष/दो सेमेस्टर के लिए (समय सीमा बढायी भी जा सकती है) विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाये एवं इसकी सूचना अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रेषित की कर दी जाये ।

2/11/18
परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

5. **उत्तर-पुस्तिका**(लिखित परीक्षा) **के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में :**

a. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल की घोषणा के के तीन सप्ताह के भीतर या विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थी को निर्धारित अवधि में, निर्धारित प्रपत्र पर, निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय रोकड़ कक्ष में जमा करके परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

b. पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं आवेदन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे किसी अन्य के नहीं ।

c. परीक्षार्थी केवल दी गयी परीक्षा में 1/3(एक तिमाही) प्रश्न पत्रों में ही पूनर्मूल्यांकन करा सकता हैं ।

d. प्रयोगात्मक/शोध/प्रोजेक्ट/सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा/नकल करते पकडे जाने पर जब्त की गयी उत्तर पुस्तिका/वाक आउट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा ।

e. पुनर्मूल्यांकन का निर्णय अंको में परिवर्तन नहीं(No Change), अंको में बढत(Increase), अंको में घढत (Decrease) होगा ।

f. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् मूल अंको में +5% या -5% तक प्राप्तांक मे बदलाव होता है तो मूल अंक (पुराने प्राप्तांक) पूर्ववत रहेंगे ।

g. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांक 100% हो जाते हैं । इस परिस्थिति में यदि परीक्षार्थी के अंको में 5% या इससे कम बढोतरी है तो बढत मान्य होगी । उदाहरणार्थ :- परीक्षार्थी के मूल अंक 48/50 हैं पुनर्मूल्यांकन के पश्चात 50/50 अंक आने पर 4% अंक बढोतरी पश्चात भी बढे अंक ही मान्य होंगे ।

h. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांको को समायोजित करने पर उसका परीक्षा परिणाम (यथा- अनुत्तीर्ण से पुनः परीक्षा, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण, पुनः परीक्षा से उत्तीर्ण, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी) बदलता है और पुनर्मूल्यांकन पश्चात अंकों में बढोतरी 5% या इससे कम होने पर भी बढत मान्य होगी ।

i. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंको में अन्तर +5% से अधिक किन्तु +15% तक या -5% से कम किन्तु -15% तक है तो पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांक मान्य होगे ।

j. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंको में अन्तर +15% से अधिक या -15% से कम है उस परिस्थिति में पुनः किसी अन्य परीक्षक द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जायेगा, तत्पश्चात् पूर्व के प्राप्तांक, प्रथम पुनर्मूल्यांकन एवं द्वितीय पूनर्मूल्यांकन तीनों प्राप्तांको के औसत अंक विद्यार्थी को प्रदान किये जायेगें ।

k. अंको में परिवर्तन के पश्चात् पूर्व में निर्गत अंकपत्र मूल्यांकन विभाग में जमा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी को संशोधित अंक पत्र जारी किया जायेगा ।

l. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षाफल में संशोधन विद्यार्थी को मान्य होगा ।

m. पुनर्मूल्यांकन के समय पूर्व परीक्षक से सम्बन्धित पहचान व पूर्व प्राप्तांक प्रदर्शित नहीं किये जायेगे ।

n. किसी परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन हेतु उसी परीक्षक को नही बुलाया जायेगा ।

o. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि परीक्षा नियन्त्रक की स्वीकृति से घटायी या बढायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी ।

p. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा ।

परीक्षा नियंत्रक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM in B.A. / Alankar

Sem.	CORE Course प्रति प्रश्न-पत्र 06 केडिट (लिखित 4 केडिट+ प्रयो0 2 केडिट)	Ability Enhancement Compulsory Course प्रति प्रश्न-पत्र 04 केडिट	Skill Enhancement Course प्रति प्रश्न-पत्र 04 केडिट	Descipline Specific Elective प्रति प्रश्न-पत्र 06 केडिट (लिखित 4 + प्रयो0 2 केडिट)	Generic Elective प्रति प्रश्न-पत्र 06 केडिट
I Sem	DSC-1A, DSC-2A विद्यार्थी को निम्न किन्ही दो ग्रुप में से एक-एक विषय का चयन करना होगा । विद्यार्थी द्वारा ग्रुप A व B में से संस्कृत व योग विज्ञान का चयन किया तो विद्यार्थी के पास निम्न कोर प्रश्न-पत्र होंगे BSA-C101 BYS-C101 BYS-C151 MIL-1(Hindi/Sanskrit)/ English (BHG-C101/BSG-C101) / BEG-C101 विद्यार्थी को (हिन्दी/संस्कृत) में से एक या अंग्रेजी का चयन करना होगा ।	(English/Hindi Communication) BEG-A101/BHG-A101 OR Environmental Studies BEN-A101 विद्यार्थी को अंग्रेजी/हिन्दी मे से एक या पर्यावरण विज्ञान का चयन करना होगा ।			
II Sem	DSC-1B, DSC-2B विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये विषयों के दो कोर प्रश्न-पत्र होंगे BSA-C201 BYS-C201 BYS-C251 MIL-1(Hindi/Sanskrit)/ English (BHG-C201/BSG-C201) / BEG-C201 विद्यार्थी ने प्रथम सेम0 में यदि अंग्रेजी लिया था तो अब (हिन्दी/संस्कृत) में से एक प्रश्न पत्र लेना होगा यदि प्रथम सेमे. में (हिन्दी/संस्कृत) में से एक लिया था तो अब अंग्रेजी प्रश्न पत्र लेना होगा	Environmental Studies BEN-A201 OR (English/Hindi Communication) BEG-A201/BHG-A201 विद्यार्थी ने यदि प्रथम सेमे में अंग्रेजी/हिन्दी मे से कोई एक प्रश्न पत्र लिया था तो अब पर्यावरण विज्ञान लेना होगा । यदि प्रथम सेमे में पर्यावरण विज्ञान लिया था तो अब अंग्रेजी/हिन्दी मे से एक प्रश्न पत्र लेना होगा			
III Sem	DSC-1C, DSC-2C विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये विषयों के दो कोर प्रश्न-पत्र होंगे BSA-C301 BYS-C301 BYS-C351 MIL-2(Hindi/Sanskrit)/ English (BHG-C301/BSG-C301) / BEG-C301 विद्यार्थी को (हिन्दी/संस्कृत) में से एक या अंग्रेजी का चयन करना होगा ।	सभी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य BKT-A301	SEC-1 विद्यार्थी ने जो दो मुख्य विषय लिये हैं उन दोनों विषय में से किसी एक विषय का एक स्किल प्रश्न-पत्र लेना होगा । BSA-S301, 02, 03.... या BYS-S301, 02, 03 ...		
IV Sem	DSC-1D, DSC-2D विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये विषयों के दो कोर प्रश्न-पत्र होंगे BSA-C401 BYS-C401 BYS-C451 MIL-2(Hindi/Sanskrit)/ English (BHG-C401/BSG-C401) / BEG-C401 विद्यार्थी ने तृतीय सेम0 में यदि अंग्रेजी लिया था तो अब (हिन्दी/संस्कृत) में से एक प्रश्न पत्र लेना होगा यदि तृतीय सेमे. में (हिन्दी/संस्कृत) में से एक लिया था तो अब अंग्रेजी प्रश्न पत्र लेना होगा		SEC-2 विद्यार्थी ने जिस विषय का स्किल प्रश्न पत्र तृतीय सेमे में लिया था उसी विषय का स्कील प्रश्न पत्र लेना होगा । BSA-S401, 02, 03.... या BYS-S401, 02, 03 ...		
V Sem			SEC-3 विद्यार्थी ने जिस विषय का स्किल प्रश्न पत्र तृतीय सेमे में लिया था उसी विषय का स्कील प्रश्न पत्र लेना होगा । BSA-S501, 02, 03.... या BYS-S501, 02, 03 ...	DSE-1A, DSE-2A, विद्यार्थी ने जो दो मुख्य विषय लिये हैं उन दोनों विषय के एक-एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र लेने होंगे । BSA-E501, 02, .. BYS-E501,02,. -E551,52..	GE-1 विद्यार्थी को किसी विषय का मुख्य दो कोर विषय के अलावा एक (ऐच्छिक) जेनेरिक प्रश्न पत्र लेना होगा B. . -G501, 02, 03....
VI Sem			SEC-4 विद्यार्थी ने जिस विषय का स्किल प्रश्न पत्र तृतीय सेमे में लिया था उसी विषय का स्कील प्रश्न पत्र लेना होगा । BSA-S401, 02, 03.... या BYS-S401, 02, 03 ...	DSE-1B, DSE-2B, विद्यार्थी ने जो दो मुख्य विषय लिये हैं उन दोनों विषय के एक-एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र लेने होंगे । BSA-E601, 02, 03.... BYS-E601,02,03.. -E651,52	GE-2 विद्यार्थी द्वारा पंचम सेम0 में लिये गये जेनेरिक प्रश्न पत्र के विषय का एक (ऐच्छिक) जेनेरिक प्रश्न-पत्र लेना होगा B. . -G601, 02, 03....

Group A

Vedic Literature	BVL
Sanskrit	BSA
Hindi Literature	BHL
English Literature	BEL

Group B

Economics	BEC
Political Science	BPS
Yogic Science	BYS
Archaeology & Mus.	BAM
Functional English	*BFE*
Functional Hindi	*BFH*

Group C

Psychology	BPY
History	BHS
Physical Education	BPE
Philosophy	BPI

Group D

Music	BMU
Drawing & Painting	BDP

परीक्षा नियंत्रक
...कांगड़ी विश्वविद्यालय

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM in B.A. Honours : Ved, Sanskrit & Philosophy

Sem.	CORE Course प्रति प्रश्न-पत्र **06 केडिट** (लिखित 4 केडिट+ प्रयो0 2 केडिट)	Ability Enhancement Compulsory Course प्रति प्रश्न-पत्र **04 केडिट**	Skill Enhancement Course प्रति प्रश्न-पत्र **04 केडिट**	Descipline Specific Elective प्रति प्रश्न-पत्र **06 केडिट** (लिखित 4 + प्रयो0 2 केडिट)	Generic Elective प्रति प्रश्न-पत्र **06 केडिट**
I Sem	C-1, C-2 विद्यार्थी द्वारा ऑनर्स वेद, संस्कृत या दर्शन जिसमें प्रवेश लिया है। उसके दो कोर प्रश्न पत्र लेने होंगे । संस्कृत में HSA-C101, HSA-C102 वेद में HVL-C101, HVL-C102 HVI-C151 दर्शन में HPI-C101, HPI-C102	(English/Hindi Communication) BEG-A101/BHG-A101 OR Environmental Studies BEN-A101 विद्यार्थी को अंग्रेजी/हिन्दी मे से एक या पर्यावरण विज्ञान का चयन करना होगा ।			GE-1 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके अलावा एक (एच्छिक) जेनेरिक प्रश्न पत्र लेना होगा H. . -G101, 02, 03....
II Sem	C-3, C-4 विद्यार्थी द्वारा ऑनर्स वेद, संस्कृत या दर्शन जिसमें प्रवेश लिया है। उसके दो कोर प्रश्न पत्र लेने होंगे । संस्कृत में HSA-C201, HSA-C202 वेद में HVL-C201, HVL-C202 HVI-C251 दर्शन में HPI-C201, HPI-C202	Environmental Studies BEN-A201 OR (English/Hindi Communication) BEG-A201/BHG-A201 विद्यार्थी ने यदि प्रथम सेमे में अंग्रेजी/हिन्दी मे से कोई एक प्रश्न पत्र लिया था तो अब पर्यावरण विज्ञान लेना होगा । यदि प्रथम सेमे में पर्यावरण विज्ञान लिया था तो अब अंग्रेजी/हिन्दी मे से एक प्र.प. लेना होगा			GE-2 विद्यार्थी द्वारा प्रथम सेमे0 में लिये गये जेनेरिक प्रश्न पत्र के विषय का एक (एच्छिक) जेनेरिक प्रश्न-पत्र लेना होगा H. . -G201, 02, 03....
III Sem	C-5, C-6 , C-7 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके तीन कोर प्रश्न प्रत्र लेने होंगे यदि वेद में प्रवेश लिया है ता HVL-C301, HVL-C351 HVL-C302 HVL-C303	सभी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य BKT-A301	SEC-1 विद्यार्थी ने जिस विषय में प्रवेश लिया है उसका एक स्किल प्रश्न-पत्र लेना होगा । HVL-S301, 02, 03....		GE-3 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके अलावा एक (एच्छिक) जेनेरिक प्रश्न पत्र लेना होगा H. . -G301, 02, 03....
IV Sem	C-8, C-9 , C-10 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके तीन कोर प्रश्न प्रत्र लेने होंगे यदि वेद में प्रवेश लिया है ता HVL-C401, HVL-C451 HVL-C402 HVL-C403		SEC-2 विद्यार्थी ने जिस विषय में प्रवेश लिया है उसका एक स्किल प्रश्न-पत्र लेना होगा । HVL-S401, 02, 03....		GE-4 विद्यार्थी द्वारा तृतीय सेमे0 में लिये गये जेनेरिक प्रश्न पत्र के विषय का एक (एच्छिक) जेनेरिक प्रश्न-पत्र लेना होगा H. . -G401, 02, 03....
V Sem	C-11, C-12 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके दो कोर प्रश्न प्रत्र लेने होंगे यदि वेद में प्रवेश लिया है ता HVL-C501, HVL-C551 HVL-C502			DSE-1, DSE-2, विद्यार्थी ने जिस विषय में प्रवेश लिया है उसके दो इलेक्टिव प्रश्न पत्र लेने होगे । HVL-E5.... HVL-E551 HVL-E5.....	
VI Sem	C-13, C-14 विद्यार्थी ने जिस विषय मे प्रवेश लिया है उसके दो कोर प्रश्न प्रत्र लेने होंगे यदि वेद में प्रवेश लिया है ता HVL-C601, HVL-C651 HVL-C602			DSE-3, DSE-4, विद्यार्थी ने जिस विषय में प्रवेश लिया है उसके दो इलेक्टिव प्रश्न पत्र लेने होगे । HVL-E6.... HVL-E651 HVL-E6.....	

Subject	I Sem.	II Sem.	III Sem.	IV Sem.	V Sem.	VI Sem.
Veda	HVL-C101, HVL-C102 HVL-C151, BEN-A101 H. . -G101	HVL-C201, HVL-C202 HVL-C251, BEG-A201 H. . -G201	HVL-C301, HVL-C302 HVL-C303,HVL-C151, HVL-S301..,H. . -G101 **BKT-A301**	HVL-C401, HVL-C402 HVL-C403,HVL-C451, HVL-S401...,H. . -G101	HVL-C501, HVL-C502 HVL-C551,HVL-E551 HVL-E501,HVL -E502	HVL-C601, HVL-C602 HVL-C651,HVL-E651 HVL-E601,HVLE602
Sanskrit	HSA-C101,HSA-C102 BEN-A101,H. .-G101	HSA-C201,HSA-C202 BEG-A201,H. .-G201	HSA-C301,HSA-C302 HSA-C304, **BKT-A301** HSA-S30..,H .-G301	HSA-C401,HSA-C402 HSA-C403, HSA-S30..,H .-G301	HSA-C501,HSA-C502 HSA-E50...,HSA-E50..	HSA-C601,HSA-C602 HSA-E60...,HSA-E60..
Philosophy	HPI-C101,HPI-C102 BEN-A101,H. .-G101	HPI-C201,HPI-C202 BEG-A201,H. .-G201	HPI-C301,HPI-C302 HPI-C304, **BKT-A301** HPI-S30..,H .-G301	HPI-C401,HPI-C402 HPI-C403, HPI-S30..,H .-G301	HPI-C501,HPI-C502 HPI-E50...,HPI-E50..	HPI-C601,HPI-C602 HPI-E60...,HPI-E60..

BPES	BES-C101,BES-C102, BES-C103,BEN-A101	BES-C201,BES-C202, BES-C203,BEG-A201	BES-C301,BES-C302, BES-C303,BES-S301,BKTA301	BES-C401,BES-C402, BES-C403,BES-S401	BES-E501,BES-E502, BES-G501,BES-S501	BES-E601,BES-E602, BES-G601,BES-S601